

झारखंड उच्च न्यायालय, रांची

सी.एम.पी. सं. 385/2019

1. मोहम्मद सल्लाउद्दीन सबा पिता- मोहम्मद वानी, ग्राम- अठीबारी, पोस्टा एवं थाना- छत्तरगढ़ी, जिला- पूर्णिया (बिहार)
2. मोहम्मद इस्माइल पिता- मोहम्मद नसीरुद्दीन, ग्राम- भोटा थाना, पोस्टम एवं थाना- छतरगढ़, जिला- पूर्णिया (बिहार)
3. मोहम्मद आलमगीर पिता- वसीरुद्दीन, ग्राम- कोलठा पोस्टी एवं थाना- छतरगढ़ जिला- पूर्णिया (बिहार)
4. एस. नसरूल हसन पिता- एस. नजमुल हसन ग्राम एवं पोस्टी- न्यू करीमगंज थाना- सिविल लाइंस गया, जिला- गया (बिहार)

बनाम

1. झारखंड राज्य
- 2 अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखंड सरकार, नेपाल हाउस, पोस्टज एवं थाना- डोरंडा, जिला रांची।
- 3 मुख्य निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं, झारखंड सरकार, आरसीएच बिल्डिंग, नामकुम, पोस्टर एवं थाना- नामकुम जिला रांची।
- 4 सिविल सर्जन-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, पलामू, पोस्टक एवं थाना-डाल्टानगंज

...उत्तरदाता

कोरम : माननीय न्यायमूर्ति श्री (डॉ०) एस०एन० पाठक

याचिकाकर्ता के लिए :- श्री आर. एस. सिंह, अधिवक्ता

उत्तरदाताओं के लिए : - श्री एच. के. मेथा, अधिवक्ता

4/28.8.2020 डब्ल्यूपी (एस) संख्या 7427/2016 की पुनर्बहाली के लिए तत्काल आवेदन दायर किया गया है, जिसे दिनांक 24.9.2018 के आदेश का अनुपालन नहीं करने के कारण खारिज कर दिया गया था।

याचिकाकर्ताओं के विद्वत अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि डब्ल्यूपी (एस) संख्या 7427/2016 की पुनर्बहाली के लिए उक्तक आवेदन के पैरा 6 में पर्याप्त आधार दिया गया है। यदि इस प्रार्थना को स्वीकार किया जाता है, तो उत्तरदाताओं के विद्वत अधिवक्ता को कोई आपत्ति नहीं है।

उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, इस प्रार्थना को स्वीकार करते हुए इसे मूल फाइल में इस शर्त पर पुनर्बहाल किया जाता है कि याचिकाकर्ता 1500/- (पंद्रह सौ) रुपये का खर्च वहन करेंगे और उक्त राशि महिला, बाल विकास और समाज कल्याण विभाग, झारखंड सरकार के सचिव के समक्ष चेक या बैंक ड्राफ्ट द्वारा किशोर न्याय निधि के पक्ष में या किशोर न्याय निधि के पक्ष में भारतीय स्टेट बैंक खाता संख्या 3734498462-5 में जमा करेंगे।

तदनुसार, इस आवेदन का निपटान किया जाता है।

(डॉ० एस०एन० पाठक, न्याया०)

एसडी